कार्यालय आजमगढ़ विकास प्राधिकरण, आजमगढ़ ।

सार्वजनिक सूचना

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि आवास एवं शहरी नियोजन, अनुभाग- 8, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ की अधिसूचना सं0- 179-आठ-8-2026/8-8099/804/2025 दिनांक 22.09.2026 के क्रम में आजमगढ़ विकास प्राधिकरण द्वारा प्रस्तावित मा0 मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण/नये शहर प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत तमसा गार्डेन एनक्लेव, आजमगढ विकास प्राधिकरण के विस्तारित विकास क्षेत्र के अन्तर्गत वर्तमान भू-उपयोग 'कृषि' क्षेत्र से 'आवासीय' में परिवर्तित किये जाने के सम्बन्ध में विवरण निम्नवत् है:-

क्र0 सं0	गाटा संख्या	कुल क्षेत्रफल	क्रय किया गया क्षेत्रफल	वर्तमान भू-उपयोग	प्रस्तावित भू-उपयोग
1	186मि0	1.4127	0.471	कृषि क्षेत्र	आवासीय
2	194मि0	1.2994	1.299	कृषि क्षेत्र	आवासीय
3	196मि0	1.3880	0.694	कृषि क्षेत्र	आवासीय
4	198मि0	0.6640	0.664	कृषि क्षेत्र	आवासीय
5	199मि0	0.6170	0.617	कृषि क्षेत्र	आवासीय
6	200मि0	1.3710	1.371	कृषि क्षेत्र	आवासीय
7	201मि0	1.4880	1.488	कृषि क्षेत्र	आवासीय
8	203मि0	1.1200	1.120	कृषि क्षेत्र	आवासीय
9	204	1.0650	1.065	कृषि क्षेत्र	आवासीय
10	206	0.0200	0.020	कृषि क्षेत्र	आवासीय
11	207	0.0680	0.068	कृषि क्षेत्र	आवासीय
12	208	0.0860	0.057	कृषि क्षेत्र	आवासीय
13	209	0.6590	0.659	कृषि क्षेत्र	आवासीय
14	210/977	0.0200	0.020	कृषि क्षेत्र	आवासीय
15	210	5.3010	5.301	कृषि क्षेत्र	आवासीय
16	212मि0	1.2310	1.231	कृषि क्षेत्र	आवासीय
17	214	0.6840	0.684	कृषि क्षेत्र	आवासीय
18	245	1.3500	1.350	कृषि क्षेत्र	आवासीय
कुल योग		19.8441	18.180		

उपरोक्तानुसार तमसा गार्डेन एनक्लेव योजना के अन्तर्गत अर्जित भूमि का आजमगढ विकास प्राधिकरण के विस्तारित विकास क्षेत्र के अन्तर्गत वर्तमान भू-उपयोग कृषि क्षेत्र से आवासीय में परिवर्तित किये जाने के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम–1973 की धारा-13 में निहित प्रक्रिया के अन्तर्गत जन-सामान्य से आपत्ति/सुझाव आमन्त्रित किये जाते हैं। जन-सामान्य द्वारा उपाध्यक्ष, आजमगढ़ विकास प्राधिकरण, आजमगढ़ को सम्बोधित करते हुए लिखित रूप में दो प्रतियों में अपने आपत्ति/सुझाव आजमगढ़ विकास प्राधिकरण, में कलेक्ट्रेट परिसर, आजमगढ में उपलब्ध कराये जा सकते हैं। केवल उन्हीं आपत्ति/सुझाव पर विचार किया जायेगा, जो निर्धारित अवधि में प्राप्त होंगे। निर्धारित अवधि के उपरान्त प्राप्त किसी भी आपत्ति/सुझाव पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।

सचिव,
आजमगढ़ विकास प्राधिकरण,
आजमगढ़।